श्री गुरु गोविन्द सिंह भवन, कंगनघाट पटना का निर्माण कार्य हेतु निर्माण स्थल के लिए भूमि की अनुपलब्धता के कारण दिनांक 04.12.2017 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही दिनांक 20.11.2017 को प्राप्त निविदा को रदद् करने एवं अग्रधन की राशि वापस करने के लिए दिनांक 02.06.2018 को तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की आहूत बैठक की कार्यवाही:-

---

उपस्थिति:

1. श्री राम सागर प्रसाद, मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना।	अध्यक्ष
2. श्री तपेश्वर प्रसाद साह, महाप्रबंधक(वित्त), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना।	सदस्य
3. श्री रंजित प्रसाद सिंह, महाप्रबंधक(दक्षिण), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना।	सदस्य
4. श्री अरविन्द कुमार सिंह, उप महाप्रबंधक, पी0 आई0 यू0, पटना।	सदस्य

कार्यवाही:-

श्री गुरु गोविन्द सिंह भवन, कंगनघाट पटना का निर्माण कार्य हेतु ई-टेन्डर के माध्यम से निविदा प्राप्त की गयी थी, जिसका प्रसारण दैनिक समाचार पत्र "हिन्दुस्तान/दैनिक जागरण/टाइम्स ऑफ इण्डिया" का पटना एवं इण्डियन एक्सप्रेस का दिल्ली संस्करण में दिनांक 02.11.2017 को हुआ था, जिसका पी0आर0 सं0-8725 नि0नि0 2017-18 है।

इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति ₹10,57,28,000.00 मात्र की प्राप्त है। इस कार्य की प्रावैधिक स्वीकृति की राशि कुल ₹10,48,42,000.00 मात्र तथा अनुमोदित परिमाण-विपत्र की राशि ₹9,79,83,657.00 मात्र है।

इस निविदा में कुल चार निविदादाताओं द्वारा भाग लिया गया, जिनके द्वारा अपलोड किए गए कागजातों को उप-महाप्रबंधक, पी0आई0यू0, पटना द्वारा डाउनलोड कर समर्पित किया गया है, जिसका तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया है, जो निम्नवत्त है:-

प्रथम निविदादाता "मेसर्स बी प्रसाद एण्ड कंपनी, पी एण्ड टी कॉलोनी, हरनीचक, अनिसाबाद, पटना-800002" है, के द्वारा अपलोड किये गये कागजातों का तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षा की गयी। समिति द्वारा जाँचोपरांत इन्हें एस0बी0डी0 की सभी कंडिकाओ में रिस्पॉन्सिव पाया गया एवं इन्हें तकनीकी बीड में सफल घोषित करने की अनुशंसा की गई थी।

द्वितीय निविदादाता "मेसर्स कलसी बुल्डकॉन प्रा0 लि0, मनीकरण टावर, कीलबर्न कॉलोनी, हीनु, राँची-834002" है, के द्वारा अपलोड किये गये कागजातों का तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षा की गयी। समिति द्वारा जाँचोपरांत इन्हें एस0बी0डी0 की कंडिका 4.2 के तहत इनका Bank द्वारा निर्गत Credit Facility Conditional है, तथा 4.5B(b) के तहत इनका Key Personnel का Detailes एवं Qualification में नाम में भिन्नता है तथा 4.5A(c) के तहत इनके द्वारा Electrical कार्य हेतु वांछित राशि से कम राशि का प्रमाणक उपलब्ध कराया गया। अत: एस0बी0डी0 की उक्त कंडिकाओं के तहत नॉन-रिस्पॉन्सिव पाया गया एवं तकनीकी बीड में असफल घोषित करने की अनुशंसा की गई थी।

तृतीय निविदादाता "सरयुग गौतम कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0, एम आई जी हाउस न0-एच-1-165, हर्मु हाउसिंग कॉलोनी, नियर कडरु मोड़, राँची-834002(झारखण्ड)" है, के द्वारा अपलोड किये गये कागजातों का तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षा की गयी। समिति द्वारा जाँचोपरांत इन्हें एस0बी0डी0 की सभी कंडिकाओ में रिस्पॉन्सिव पाया गया एवं इन्हें तकनीकी बीड में सफल घोषित करने की अनुशंसा की गई थी।

चतुर्थ निविदादाता "तिरुपती कंस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, 270 सेक्टर-4, हुडा, धरहरा, जिला-रेवई, हरियाणा" है, के द्वारा अपलोड किये गये कागजातों का तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षा की गयी। समिति द्वारा जाँचोपरांत इन्हें एस0बी0डी0 की कंडिका 4.5(B)(a) के तहत इनका Steel Shuttering, Water Tanker & Concrete Mixer with weighing facility प्रमाणक पाँच वर्ष से अधिक अवधि का है। अत: इन्हें नॉन-रिस्पॉन्सिव पाया गया एवं तकनीकी बीड में असफल घोषित करने की अनुशंसा की गई थी।

दिनांक: 04.12.2017 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा उक्त निविदा में दो निविदादाता "मेसर्स बी प्रसाद एण्ड कंपनी, पी एण्ड टी कॉलोनी, हरनीचक, अनिसाबाद, पटना-800002" एवं "सरयुग गौतम कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0, एम आई जी हाउस न0-एच-1-165, हर्मु हाउसिंग कॉलोनी, नियर कडरु मोड़, राँची-834002(झारखण्ड)" को सफल घोषित करने की अनुशंसा की गयी थी।

उक्त योजना स्थल के संदर्भ में प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना के पत्रांक-1127, दिनांक: 04.12.2017 द्वारा प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना को तख्त श्री पटना साहिब के कंगनघाट पर प्रस्तावित "श्री गुरु गोविन्द सिह भवन" के निर्माण पर बिहार भवन उपविधि, 2014 की उपविधिप-22 (नदी के सापने की भूमि के निकट निर्माण) के तहत प्रभावी प्रतिबंध को उपविधि-88 (सरकार द्वारा उपान्तरण एवं शिथिलीकरण) के तहत् शिथिल करने हेतु, सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने की दिशा में अगेत्तर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था। इस संबंध में बिहार भवन उपविधि, 2014 के

प्रावधानों, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अधिसूचना, कार्यालय आदेश-3187(E), दिनांक-07.10.2016 तथा माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, कोलकता में गंगा नदी के किनारे निर्माण पर प्रतिबंध से संबंधित वाद में सुनवाई के क्रम में पारित आदेशों के आलोक में वर्णित अधिसूचना की कंडिका-6(3), प्रस्तावित निर्माण हेतु प्रभावी है, जिसके तहत मात्र अपवाद की स्थितियों जैसे प्राकृतिक आपदा अथवा पारंपरिक स्थलों पर धार्मिक आयोजनो के लिए राज्य गंगा समिति और जिला गंगा समिति के माध्यम से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की पूर्वानूमति से मात्र अस्थायी संरचनाएं बनाये जाने का प्रावधान बताया गया है। फलस्वरुप निगम निविदा समिति द्वारा इस पर निर्णय नही लिया जा सका।

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना के पत्रांक-1151, दिनांक: 15.12.2017 द्वारा प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को तख्त श्री पटना साहिब के कंगनघाट पर प्रस्तावित "श्री गुरु गोविन्द सिह भवन" के स्थायी संरचना के निर्माण हेतु लगभग एक एकड़ भूमि (लम्बाई 236' चौड़ाई 185') भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध कराने के संबंध में शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना के पत्रांक-1389, दिनांक: 04.05.2018 द्वारा प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, सचिव, पर्यटन विभाग एवं जिला पदाधिकारी, पटना को तख्त श्री पटना साहिब के कंगनघाट पर प्रस्तावित "श्री गुरु गोविन्द सिह भवन", के निर्माण कार्य हेतु स्थल उपलब्धता के संदर्भ में दिनांक 08.05.2018 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में एक बैठक का आयोजन किया गया था।

दिनांक 08.05.2018 के बैठक में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में तख्त श्री पटना साहिब के कंगनघाट पर प्रस्तावित "श्री गुरु गोविन्द सिह भवन" के निर्माण हेतु स्थल उपलब्धता के संदर्भ में आहूत बैठक में प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कहा गया कि बिहार भवन उपविधि-2014, गंगा नदी के तटबंध से 200 मीटर की दूरी पर कोई भी स्थायी संरचना का निर्माण नही किया जाना है। इसके अतिरिक्त जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0-2458 दिनांक 07.10.2016 का का0 आ0 -2187(अ) की कंडिका 6(3) में प्रावधानित है कि कोई व्यक्ति गंगा नदी में अथवा गंगा नदी के तट अथवा उसकी सक्रिय बाढ़ मैदानी क्षेत्रों में आवासीय अथवा वाणिज्यक अथवा औद्योगिक अथवा अन्य किसी प्रयोजन से स्थायी अथवा अस्थायी संरचना का निर्माण नहीं किया जा सकेगा एवं मुख्य सचिव के द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना को निदेश दिया गया कि निर्माण हेतु एक एकड़ भूमि (लम्बाई 236'0" चौड़ाई 185'00") की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में शीघ्र कार्रवाई की जाए।

अतएव सम्यक् विचारोपरान्त् निविदा की वैधता समाप्त होने एवं स्थल उपलब्ध नही होने के कारण निविदा को रदद् करने तथा सभी चारों निविदादाताओं का अग्रधन की राशि वापस करने का निर्णय समिति द्वारा की जाती है।

इस कार्यवाही को निगम बेवसाईट पर डाली जाय।

6/6/18	2.6.18	Tapeshwar 02.06.18	6/6/18
(अरविन्द कुमार सिंह)	(रंजित प्र0 सिंह)	(तपेश्वर प्र0 साह)	(राम सागर प्रसाद)
उप महाप्रबंधक,	महाप्रबंधक (दक्षिण),	महाप्रबंधक (वित्त),	मुख्य महाप्रबंधक
पी0आई0यू0, पटना।	बि0रा0भ0नि0नि0लि0,पटना।	बि0रा0भ0नि0नि0लि0,पटना।	बि0रा0भ0नि0नि0लि0,पटना।